



## अध्याय 13: समान अवसर

### समान अवसर आयोग

समान अवसर आयोग (EOC) 1996 में हांगकांग में भेदभाव-विरोधी अध्यादेशों को लागू करने के लिए स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिनके नाम हैं, यौन भेदभाव अध्यादेश (SDO), विकलांगता भेदभाव अध्यादेश (DDO), पारिवारिक स्थिति भेदभाव अध्यादेश (FSDO) और जातीय भेदभाव अध्यादेश (RDO)।

### भेदभाव विरोधी अध्यादेश

वर्तमान में हांगकांग के चार भेदभाव-विरोधी अध्यादेश हैं जो लिंग, गर्भावस्था, स्तनपान, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, पारिवारिक स्थिति और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं। भेदभाव दो तरह के होते हैं - प्रत्यक्ष भेदभाव और अप्रत्यक्ष भेदभाव। प्रत्यक्ष भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ किसी संरक्षित विशेषता, जैसे कि व्यक्ति का लिंग, गर्भावस्था, स्तनपान, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, पारिवारिक स्थिति या जाति, के कारण दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार किया जाता है। अप्रत्यक्ष भेदभाव तब होता है जब कोई शर्त या आवश्यकता, जो न्यायोचित नहीं है, सभी पर लागू की जाती है, लेकिन व्यवहार में उन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिनमें उपर्युक्त संरक्षित विशेषता होती है।

कानून उत्पीड़न और बदनामी से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें यौन उत्पीड़न और जातीय अपमान शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

अध्यादेशों में सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- रोजगार
- शिक्षा
- वस्तुओं, सेवाओं और/या सुविधाओं का प्रावधान
- परिसर का निपटान और/या प्रबंधन
- सलाहकार निकायों के लिए वोट करने और चुने जाने या नियुक्त होने की पात्रता

- क्लब और खेल गतिविधियों में भाग लेना
- सरकार की गतिविधियाँ (RDO के अपवाद के साथ)

**SDO के अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ लिंग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था या स्तनपान के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है।** SDO किसी व्यक्ति को यौन उत्पीड़न, स्तनपान के आधार पर उत्पीड़न तथा रोजगार, शिक्षा, वस्तुओं, सेवाओं और/या सुविधाओं के प्रावधान और परिसर के निपटान और/या प्रबंधन, वोट देने की पात्रता और सलाहकार निकायों में निर्वाचित या नियुक्त होने तथा क्लबों में भाग लेने के क्षेत्रों में उत्पीड़न से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यौन उत्पीड़न किसी भी प्रकार का अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन पक्ष के लिए अवांछित अनुरोध, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति यौन प्रकृति का अवांछित आचरण और/या यौन रूप से प्रतिकूल या भयभीत करने वाला वातावरण बनाना है, जिसे सामान्यतः एक समझदार व्यक्ति द्वारा आक्रामक, अपमानजनक या भयभीत करने वाला माना जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को छूना, यौन चुटकुले बनाना, सेक्स के लिए पूछना, या अश्लील तस्वीरें प्रदर्शित करने जैसे कृत्य शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। स्तनपान उत्पीड़न तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी महिला को इस आधार पर परेशान करता है कि महिला स्तनपान करा रही है, उसके प्रति अवांछित आचरण करके या शत्रुतापूर्ण या डराने वाला वातावरण बनाकर।

**DDO के अंतर्गत, किसी विकलांग व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना, या विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव या उत्पीड़न करना गैरकानूनी है।** विकलांगता उत्पीड़न में ऐसा व्यवहार शामिल है जो विकलांग व्यक्ति को नीचा दिखाता है और अपमानित महसूस कराता है जैसे कि किसी व्यक्ति की विकलांगता के बारे में अशिष्ट टिप्पणियां, चुटकुले, चित्र और टेक्स्ट संदेश आदि। विकलांग लोगों का उत्पीड़न भी गैरकानूनी है। आरोपित विकलांगता या किसी सहयोगी की विकलांगता के आधार पर भेदभाव के संबंध में भी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

**FSDO के अंतर्गत, पारिवारिक स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना गैरकानूनी है।** पारिवारिक स्थिति का अर्थ है किसी निकटतम पारिवारिक सदस्य की देखभाल की जिम्मेदारी होना। किसी व्यक्ति के परिवार के निकटतम सदस्य का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो रक्त, विवाह, गोद लेने या आत्मीयता से उस व्यक्ति से संबंधित हो। FSDO के अंतर्गत उत्पीड़न भी गैरकानूनी है।

**RDO के अंतर्गत, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना, उसे परेशान करना या उसे बदनाम करना गैरकानूनी है।** जाति का अर्थ है किसी व्यक्ति की जाति, रंग, वंश, राष्ट्रीय या जातीय मूल। जातीय उत्पीड़न में ऐसा व्यवहार शामिल होगा जो एक निश्चित जाति के व्यक्ति को नीचा दिखाना, अपमानित या भयभीत महसूस कराएगा जैसे कि किसी व्यक्ति की जाति के बारे में अशिष्ट टिप्पणी, चुटकुले, चित्र, टेक्स्ट संदेश आदि।

किसी व्यक्ति को कानून द्वारा तब भी संरक्षण प्राप्त होगा, जब उसके साथ उसके सहयोगी की जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है या उसे परेशान किया जाता है, या उसे किसी विशेष जाति या किसी विशेष जातीय समूह का सदस्य बताकर परेशान किया जाता है। RDO के अंतर्गत उत्पीड़न भी गैरकानूनी है।

इसके अलावा, कानून संविदा श्रमिकों, प्रशिक्षुओं और स्वयंसेवकों सहित सामान्य कार्यस्थलों पर यौन, स्तनपान, विकलांगता और नस्लीय उत्पीड़न से व्यक्तियों की रक्षा करता है, भले ही उनके बीच कोई रोजगार या अन्य समान कार्य संबंध न हों।

## **EOC आपके लिए क्या कर सकता है?**

कोई भी व्यक्ति जो यह मानता है कि उसने अध्यादेशों में निर्दिष्ट भेदभाव, उत्पीड़न या अपमान का अनुभव किया है, वह घटना के 12 महीनों के भीतर EOC के ऑनलाइन शिकायत फॉर्म के माध्यम से EOC के साथ लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है। EOC शिकायत से निपटने में निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करते हुए "पीड़ित-केंद्रित" दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि किसी शिकायतकर्ता को लिखित रूप में शिकायत तैयार करने में कठिनाई होती है, तो वह EOC कार्यालय से संपर्क कर सकता है। EOC आपकी कठिनाइयों का पता लगाएगा और दी गई जानकारी के आधार पर विचार करेगा कि क्या कोई लेखन सहायता प्रदान की जाए।



EOC कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण नहीं है। इसमें भेदभाव, उत्पीड़न या अपमान के दावों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। न ही यह कोई कानूनी सहायता एजेंसी है। फिर भी, EOC शिकायतों की जांच कर सकता है और सुलह के माध्यम से विवादों को हल

करने में मदद कर सकता है। यदि किसी मामले में सुलह नहीं होती है, तो शिकायतकर्ता कानूनी सहायता सहित अन्य सहायता के लिए EOC के पास आवेदन कर सकता है। चार अध्यादेशों के तहत शिकायतकर्ता द्वारा सीधे जिला न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।

EOC और चार अध्यादेशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया EOC की वेबसाइट [www.eoc.org.hk](http://www.eoc.org.hk) देखें, या EOC कार्यालय से संपर्क करें। उपलब्धता के आधार पर अनुरोध पर व्याख्या प्रदान की जाएगी।

पता: 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong

EOC के काम के बारे में जानकारी EOC के मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है:



टेलीफोन:

**2511-8211 (सामान्य पूछताछ के लिए)**

**2106-2222 (यौन उत्पीड़न विरोधी हॉटलाइन)**

ईमेल:

[eoc@eoc.org.hk](mailto:eoc@eoc.org.hk) (केवल सामान्य पूछताछ के लिए;

भेदभाव से संबंधित शिकायतों या चिंताओं के लिए नहीं)

वेबसाइट

[www.eoc.org.hk](http://www.eoc.org.hk)

SMS पूछताछ सेवा:

61153037 (EOC के कार्यालय समय के दौरान सुनने में दुर्बलता/बोलने में कठिनाई वाले लोगों के लिए)

भेदभाव की शिकायत:

<https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/ComplaintPICS.aspx>

भेदभाव संबंधी पूछताछ:

<https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquirypics.aspx>

कार्यालय का समय : सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:45 बजे से शाम 5:45 बजे तक

